आखिर कब होगी सीबीआई की मुक्ति

पूर्ण कानूनी स्वायत्ता प्रदान किए बिना गुलाम चरित्र से निजात दिलाना मुमकिन नहीं

राष्ट्र चिंतन

प्रभात कुमार रॉय

सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन) को सूचना अधिकार के अंतर्गत लाने की मांग को केंद्रीय हुकूमत ने तसलीम करने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। सीबीआई की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कानूनी तौर पर पारदर्शी बनाने की मांग दीर्घकाल से की जाती रही। 1500 करोड़ के बॉफोर्स तोप खरीद स्कैंडल में केस के मुख्य मुलजिम ऑटाविया क्वात्रोची को सीबीआई ने जिस तरह से भारत से भाग जाने का मौका उपलब्ध कराया और केंद्रीय हुकूमत के इशारे पर जिस तरह से सीबीआई निरंतर इस केस में डांस करती रही, इसके बाद से तो सीबीआई की कानूनी निष्पक्ष क्षमता पर से भरोसा उठ गया। हुकूमत के शिकंजे से निकल कर 2जी स्पैक्ट्रम केस में सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देशन में सीबीआई ने बहुत कुछ कर दिखाया। ऐतिहासिक तौर पर प्रायः सत्तानशीन रहे ताकतवर राजनेताओं पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन कानून का शिकंजा कसने में नाकाम रही। सीबीआई के मूल चरित्र पर सवालिया निशान लगते रहे। कुल मिलाकर जो छवि अभी तक सीबीआई की निर्मित हुई, वह एक नाकारा निकम्मी जांच ऐजेंसी की है, जोकि संविधान के आर्टिकिल्स और कानून की धाराओं से संचालित न होकर, अपने आकाओं के हुक्म पर गुलाम की तरह आचरण करती रही। भारत जैसे एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील गणतंत्र के लिए यह स्थिति वस्तुतः खतरनाक है। सीबीआई को पूर्ण कानूनी स्वायत्ता (आटोनोमी) प्रदान किए बिना, इसको गुलाम चरित्र से निजात दिलाना कदाचित मुमकिन नहीं।

केन्द्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का संपूर्ण गुलाम चरित्र और कारकर्दगी दीर्घकाल से सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनी रही। भारतीय संविधान के तहत कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी मूलतः प्रांतीय सरकार की है। किसी भी महत्वपूर्ण अति अपराध की जांच पड़ताल में जब प्रांतीय सरकार अपनी पुलिस एजेंसी को अक्षम समझती है, तो केंद्र सरकार से मामले की जांच पड़ताल सीबीआई से कराने का आग्रह करती है। भारतीय राजनीति के शनैः शनैः अपराधीकरण होते चले जाने के पश्चात यह बेहद आवश्यक हो गया है कि सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज हुए अपराधियों के प्रभुत्व से पुलिस-प्रशासन को मुक्त कराया जाए, ताकि सत्तानशीन अपराधियों का मुक्कमल सफाया किया जा सके। ताकतवर सीबीआई को संवैधानिक और कानूनी स्वायत्ता प्रदान करने के लिए जबरदस्त जनमत का सृजन किया जाए। क्रिमिनल जस्टिस को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में यथाशीघ्र सार्थक कदम उठाने की बेहद दरकार रही। कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित जस्टिस वी एस मॉलिमथ कमेटी ने कहा कि देश में एक तरफ संगठित माफिया गिरोहों के भयावह अपराधों में इजाफा होता रहा और दूसरी ओर सफेदपोश अपराध भी तीव्र गति से बढ़ते रहे। इन अपराधों को काबू करने के लिए जस्टिस मॉलिमथ कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें केंद्रीय हुकूमत के समक्ष पेश की। इनमें एक अनुशंसा सीबीआई को ऑटोनोमी प्रदान करने की भी थी ताकि सीबीआई किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर सफेदपोश बड़े राजनेताओं, बड़े ओहदेदार अफसरों और कॉरपोरेट घरानों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले घोटालों और स्कैंडल्स की जांच-पड़ताल बेखौफ होकर निष्पक्ष तौर पर कर सके। जस्टिस मॉलिमथ कमेटी ने क्रिमिनल जस्टिस को चुस्त-दुरुस्त को करने के लिए संगीन अपराधों की तेज जांच-पड़ताल और त्वरित न्याय के लिए कड़े कदम उठाने की अनुशंसा भी की। केंद्रीय हुकूमत ने जस्टिस मॉलिमथ कमेटी की रिकमनडेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जबकि केंद्रीय हुकूमत को कमीशनों और कमेटियों की सिफारिशों पर अमल दरामद अंजाम देना ही नहीं होता तो आखिर उन पर राष्ट्र का करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया जाता है। सफेदपोश अपराधों की जांच-पड़ताल की लीपापोती चलती रहे और कमजोर मुकदमें अदालत में पेश होते रहें और सफेदपोश बड़े अपराधी बाइज्जत बरी होते रहें, अतः सीबीआई को कमजोर और गुलाम बनाए रखो। बस यही मंशा सामंती चरित्र के कथित जनतांत्रिक सत्तानशीन राजनेताओं की बनी रही। सीबीआई को राजनेताओं की गुलामी से आजाद करने का अर्थ होगा अपने ही हाथों से फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालना। ताकतवर लोकपाल प्रतिष्ठान के गठन का प्रश्न हो अथवा सीबीआई के सृजन का सवाल हो केंद्र में सामंती चरित्र के सत्तानशीन राजनेताओं से राष्ट्र को कोई उम्मीद कदाचित नहीं रखनी चाहिए। अब तो यह फैसला देश का जनमानस ही करेगा कि राष्ट्र से सफेदपोश संगीन अपराधियों का किस तरह सफाया किया जाए।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission